अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

भवानीसिंह आदि बनाम **आसूसिंह आदि**

दावा बाबत, उदघोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व रेकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 35(2)/दावा सन् 2016 **निर्णय दिनांक 28.06.2016**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी **श्री भवानीसिंह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई भंवरसिंह शेखावत,आशीष शर्मा मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 15 डिकी किया जाता है कि विवादित **वादग्रस्त खसरा नं. 606 रकबा 1.59 हैक्टर, व खसरा नम्बर 609 रकबा 1.75 हैक्टर बारानी किता 2 कुल रकबा 3.34 हैक्टर सम्पूर्ण तन ग्राम भारीजा का वादीगण को खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का नाम हजफ किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 630 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 631 रकबा 3.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.62 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 4.38 हैक्टर तन ग्राम भारीजा की खातेदारी में वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का हिस्सा 1/4 दर्ज कर,** प्रतिवादी सं० 13, 14 का नाम हजफ कर **इसी हक व हिस्से अनुसार पक्षकारों को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं ।** इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो । तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो ।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.06.2016 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
दस्तखत ओहदा
दांतारामगढ़

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	–	00			
				2	00
मीजान	7	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35(2)/2016/दावा

1. भवानी सिंह आयु 53 साल
2. हरी सिंह आयु 47 साल

} पुत्रगण नारायण सिंह जाति राजपूत नि...
ग्राम भारीजा तहसील दातारामगढ़ जिला ...

—वादीगण

ब ना म

1. आसूसिंह आयु 75 साल
2. हरी सिंह आयु 70 साल
3. महावीर सिंह आयु 50 साल
4. विक्रमसिंह उर्फ विकाससिंह आयु 30 साल
5. समदर कंवर पत्नि बजरंग सिंह आयु 70 साल
6. परमेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह आयु 30 साल
7. सम्पत कंवर पत्नि अमरसिंह आयु 60 साल
8. दिलीप सिंह आयु 30 साल
9. ब्रजपाल सिंह आयु 25 साल
10. चन्द्र सिंह आयु 58 साल
11. अजीत सिंह आयु 40 साल
12. रणजीत सिंह आयु 35 साल
13. तार सिंह
14. श्योनाथ सिंह
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दातारामगढ़ जिला सीकर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व
स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
दातारामगढ़
दातारामगढ़

Scanned with CamScanner

सी
सीकर ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35(2)/2016/दावा

1. भवानी सिंह आयु 53 साल
2. हरी सिंह आयु 47 साल

} पुत्रगण नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—वादीगण

ब ना म

1. आसूसिंह आयु 75 साल
2. हरी सिंह आयु 70 साल
3. महावीर सिंह आयु 50 साल
4. विक्रमसिंह उर्फ विकाससिंह आयु 30 साल
5. समदर कंवर पत्नि बजरंग सिंह आयु 70 साल
6. परमेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह आयु 30 साल
7. सम्पत कंवर पत्नि अमरसिंह आयु 60 साल
8. दिलीप सिंह आयु 30 साल
9. ब्रजपाल सिंह आयु 25 साल
10. चन्द्र सिंह आयु 58 साल
11. अजीत सिंह आयु 40 साल
12. रणजीत सिंह आयु 35 साल
13. तार सिंह
14. श्योनाथ सिंह
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व
स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील वादीगणों की ओर से ।
2. श्री भंवर सिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं.7 ता 12 की ओर से
3. श्री आषीश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1,2 व 6 की ओर से ।
4. प्रतिवादी संख्या 3 से 5, व 13 से 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक 28.06.2016

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भारीजा

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned with CamScanner

तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की पैतृक कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 484 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 485 रकबा 1.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.89 हैक्टर खसरा नम्बर 500 रकबा 3.45 हैक्टर व खसरा नम्बर 483 रकबा 3.62 हैक्टर कुल किता 6 कुल करबा 11.34 हैक्टर जिसके नये खसरा नम्बर 606 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 609 रकबा 1.75 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 631 रकबा 3.72 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.62 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 607 रकबा 1.79 हैक्टर खसरा नम्बर 608 रकबा 1.83 हैक्टर बारानी तथा खसरा नम्बर 630 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु.चाह कुल किता 7 कुल रकबा 11.34 हैक्टर अवस्थित है । उक्त भूमियों में से भूमि नये खसरा नम्बर 630, 631, 650 में वादीगण का हि. 1/2 पैतृक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का हि. 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का हि. 1/4 पैतृक है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं किन्तु उक्त भूमियों के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में पक्षकारान का हिस्सा दर्शित नहीं किया गया है इसके कारण भविष्य में पक्षकारान के बीच विवाद होने की संभावना है । उक्त भूमियों में वादीगण का हि. 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का हि. 1/4 व प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का हि. 1/4 दर्ज कर इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की प्रार्थना की गई ।

2. भूमि खसरा नम्बर 606 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 609 रकबा 1.75 हैकटर बारानी किता 2 रकबा 3.34 हैक्टर वादीगण के कब्जे व अधिकार की भूमियां हैं जिस पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है जो उक्त भूमियों की खसरा गिरदावरी से भी प्रमाणित है आज भी उक्त भूमियां वादीगण के कब्जे व अधिकार में हैं किन्तु उक्त भूमियों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 630, 631 व 650 के साथ खाते में अंकन होने की वजह से उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला हा रहा है भूमि खसरा नम्बर 606 व 609 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का नाम हजफ किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 606 व 609 रकबा 3.34 हैक्टर की सम्पूर्ण की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाकर वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करने व रिकार्ड दुरूस्ती की प्रार्थना की गई है । उक्त भूमियों के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर पुराने 483 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा सम्पूर्ण जिसके नये खसरा नम्बर 607 रकबा 1.79 हैक्टर खसरा नम्बर 608 रकबा 1.83 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 3.62 हैक्टर आई हुई है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है । प्रतिवादी संख्या 7 से 12 के पूर्वज बन्नेसिंह की मृत्यु पश्चात् विरासत का नामान्तकरण खोलते समय भूमि पुराने खसरा नम्बर 499 रकबा 8 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के पिता व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 7 के श्वसुर

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner

भंवर सिंह के नाम से खातेदारी विरासत के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 424 सही रूप से अंकित की गई किन्तु भूमि पुराने खसरा नम्बर 484,485,498,500 की खातेदारी गलत रूप से भंवरसिंह पुत्र बन्नेसिंह के स्थान पर तारसिंह, श्योनाथ सिंह पुत्र बन्नेसिंह के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 214 दर्ज कर दी गई जबकि तारसिंह, श्योनाथ सिंह पुत्र बन्नेसिंह नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भारीजा में है ही नहीं । तारसिंह, श्योनाथसिंह के पिता का नाम नारायण सिंह है तथा इनके दादा का नाम बन्नेसिंह है किन्तु गलत रूप से तारसिंह, श्योनाथ सिंह पुत्र बन्ने सिंह, भंवरसिंह पुत्र बन्नेसिंह के स्थान पर अंकन किया गया है जिसके नामान्तकरण की अपील भी भंवरसिंह के वारिसान की ओर से बउनवानी सम्पतकंवर आदि बनाम भवानीसिंह माननीय न्यायालय में पेश की गई । माननीय न्यायालय के सामने स्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का नाम खातेदारी में गलत अंकन होने की वजह से पक्षकार संयोजित कर उक्त प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के नाम से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में किया गया गलत अंकन दुरूस्त किया जाकर संशोधन की प्रार्थना की गई है ।

4. उक्त वादपत्र पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 7 से 12 जरिये वकील श्री भंवरसिंह शेखावत व प्रतिवादी संख्या 1,2, व 6 जरिये वकील श्री आशीश शर्मा उपस्थित हुए । प्रतिवादी संख्या 3,4,5,13,14,15 बावजूद तामील गैरहाजिर रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
5. वाद पत्र की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1,2 व 6 तथा वादीगण के मध्य दिनांक 28.04.2016 को राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया । तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 12 व वादीगण के मध्य दिनांक 28.06.2016 को राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया ।
6. बहस उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषणगण की सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों एवं राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित नये आराजी खसरा नम्बर 606 रकबा 1.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 609 रकबा 1.75 हैक्टर सम्पूर्ण वादीगण के कब्जे व अधिकार की है जो उक्त भूमियों की खसरा गिरदावरी से भी प्रमाणित है भूमि खसरा नम्बर 606 व 609 की खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर उक्त भूमियों की सम्पूर्ण की खातेदार वादीगण के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जावे । तथा वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । तथा भूमि खसरा नम्बर 630, 631,650 में वादीगण का हि. 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का हि. 1/4 दर्ज कर इसी हक हिस्से अनुसार पक्षकारान को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की प्रार्थना की ।

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned with CamScanner

हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम भारीजा के भूमि खसरा नम्बर 606 रकबा 1.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 609 रकबा 1.75 हैक्टर बारानी किता 2 कुल रकबा 3.34 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 484 व 485 हैं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व गिरदावरियों से यह प्रमाणित है कि उक्त भूमियां वादीगण के कब्जे काश्त में लम्बे समय से चली आ रही है तथा विवादित भूमियां पैतृक हैं तथा उक्त भूमियों के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 607,608 किता 2 कुल रकबा 3.62 हैक्टर आई हुई है जिसकी खातेदारी उक्त प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज है तथा इस बाबत पक्षकारान के बीच राजीनामा भी पेश होकर तस्दीक हो चुका है एसी स्थिति में वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 606 रकबा 1.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 609 रकबा 1.75 हैक्टर बारानी किता 2 कुल रकबा 3.34 हैक्टर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का नाम हजफ किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं । तथा मुताबिक राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध पुराने राजस्व रेकार्ड के अवलोकन पश्चात् ग्राम भारीजा के नये खसरा नम्बर 630 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 631 रकबा 3.72 हैक्टर खसरा नम्बर 650 रकबा 0.62 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 4.38 हैक्टर तन ग्राम भारीजा की खातेदारी में वादीगण का हि. 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का हि. 1/4 व प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का हि. 1/4 दर्ज कर, प्रतिवादी संख्या 13, 14 का नाम हजफ कर इसी हक व हिस्से अनुसार पक्षकारो को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं । तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो ।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned with CamScanner